

अपील

मुख्य मंत्री राहत कोष से गंभीर बीमारी से पीड़ित गरीब व्यक्तियों के उपचार, आपदा से हुए नुकसान में राहत, कमाने वाले सदस्य की मृत्योपरान्त बेसहारा परिवार, गरीब परिवारों के मेधावी छात्रों की व्यवसायिक शिक्षा एवं गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह इत्यादि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

मुख्य मंत्री राहत कोष एक ऐसा महायज्ञ है जो केवल और केवल जनता की सहभागिता पर ही निर्भर करता है। इस राहत कोष में दिया गया अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 80-जी के अन्तर्गत पूर्णतः आयकर मुक्त है। अतः अंशदान दी गई कोई भी राशि अंशदाता के आयकर में से शत प्रतिशत घटा दिये जाने का प्रावधान है।

गरीबों एवं असहायों की आर्थिक सहायता के इस पुनीत कार्य को अनवरत जारी रखने हेतु 19 मार्च 2020 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने विधान सभा में सत्र के दौरान हिमाचल के सभी माननीय मंत्रियों, सांसदों एवं विधायकों से विशेष अनुरोध किया है कि वे अपने एक माह के वेतन को तथा राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों (श्रेणी -I से श्रेणी-III तक) से भी अपने एक दिन के वेतन को मुख्य मंत्री राहत कोष में दान करने का आह्वान किया है। इस कोष में दान ऑनलाईन व नगद किया जा सकता है। मुख्य मंत्री राहत कोष के बैंक खातों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

HP State Cooperative Bank Chhota Shimla

A/C No: 4060100315

IFSC code: HPSC0000406

H.D.F.C. Bank, Chhota Shimla

A/c No: 50200044568563

IFSC code: HDFC0004116

अंशदान निचे दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन भी किया जा सकता है:-

www.himachal.nic.in/CMRF

अतः आपसे अनुरोध है कि मुख्य मंत्री राहत कोष में अंशदान दें ताकि समय पर जरूरतमंदों की सेवा/सहायता का कार्य सुचारु रूप से चलाया जा सके।

सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

नस्ति संख्या: जी०ए०डी०-बी(सी)4-1/2013, शिमला- 171 002

दिनांक 21st मार्च, 2020।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को :-

1. समस्त मंत्रिमण, सांसद, विधायक हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
3. समस्त मण्डलायुक्त/ उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।

उप सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

0177-2620672.

30 MAY 2020

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
हिमाचल प्रदेश, लालपानी शिमला-171001.

दिनांक: शिमला-1 मई, 2020.

पृष्ठांकन संख्या: ई0डी0एन0-एच0(प्रार0)(1)बी0/2019(विविध),
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1. संयुक्त निदेशक (स्कूल), प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय हि0प्र0 शिमला-1
2. संयुक्त नियन्त्रक(वि0एवं लेखा), प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, हि0प्र0 शिमला-1.
3. समस्त शाखा अधिकारी/अधीक्षक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, हि0प्र0 शिमला-1
4. जिला न्यायावादी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, हि0प्र0 शिमला-1.
5. समस्त उप-निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा हि0प्र0 को इस कथन के साथ प्रेषित है कि उक्त अनुदेशों /निर्देशों से आपके अधीनस्थ कार्यरत सभी खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों को भी अवगत करवाया जाये।
6. सहायक नियन्त्रक/अनुभाग अधिकारी(वि0एवं लेखा), प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, हि0प्र0 शिमला-1.
7. नोडल अधिकारी/अधीक्षक (आई0टी0), प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय हि0प्र0 शिमला-1 को इस कथन के साथ प्रेषित है कि उक्त अनुदेशों/निर्देशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
8. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा हि0प्र0 शिमला-1
9. निजी सहायक, संयुक्त निदेशक (प्रशा0) प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय हि0प्र0 शिमला-1
10. रक्षक नस्ति।



(हितेश आज़ाद)हि.प्र.से.
संयुक्त निदेशक(प्रशा0),
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
हि0प्र0 शिमला-171001
eleeduhp@rediffmail.com
0177-2658044